



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032020-218647
CG-DL-E-13032020-218647

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]
No. 121]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2020/फाल्गुन 23, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2020/PHALGUNA 23, 1941

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(मुख्य कार्यालय- भविष्य निधि भवन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2020

फा. सं. सम्मे. 5(7)/2012/जी.जे./11236.—कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, इसके आगे “योजना” के रूप में संदर्भित, के अनुच्छेद 5 के साथ पठित अनुच्छेद 4 के उप अनुच्छेद (1) के अनुसरण में, अध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.), द्वारा गुजरात के लिए क्षेत्रीय समिति (क.भ.नि.), का पुनर्गठन किया गया तथा अधिसूचना सं. सम्मे. 5(7)/2012/जी.जे./14116 दिनांक 16.11.2017 द्वारा जारी संख्या 456 के अंतर्गत भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-III, खण्ड 4 में दिनांक 04.12.2017 को अधिसूचित किया गया।

2. अध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.), ने जारी संख्या 456 के अंतर्गत भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-III, खण्ड 4 में दिनांक 04.12.2017 को प्रकाशित अधिसूचना सं. सम्मे. 5(7)/2012/जी.जे./14116 दिनांक 16.11.2017 में निम्नलिखित संशोधन का अनुमोदन किया है।

3. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 1 पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाए:—

गजट अधिसूचना दिनांक 04.12.2017 में क्र.सं.	सदस्य का नाम एवं पदनाम	के रूप में नियुक्ति (संबंधित पैरा के अंतर्गत)
1.	अपर सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग, गुजरात राज्य।	अध्यक्ष [अनुच्छेद 4 (1) (ए) के अंतर्गत]

4. यह तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

सुनील बड़थवाल, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त
[विज्ञापन-III/4/असा./506/19]

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(HEAD OFFICE – BHAVISHYA NIDHI BHAWAN)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2020

F. No. Conf. 5(7)2012/GJ/11236.—In accordance with the provisions of sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees' Provident Funds Scheme 1952, the Regional Committee (Employees' Provident Fund) for the State of Gujarat was reconstituted by the Chairman, Central Board of Trustees (Employees' Provident Fund) and notified on 04.12.2017 in the Gazette of India (Extraordinary), Part-III, Section-4 under issue No. 456 *vide* Notification No. Conf.5(7)2012/GJ/14116 dated 16.11.2017.

2. The Chairman, Central Board of Trustees (Employees' Provident Fund) has approved the following amendment in the notification published on 04.12.2017 in the Gazette of India (Extraordinary), Part-III, Section-4 under issue No. 456 *vide* Notification No. Conf. 5(7)2012/GJ/14116 dated 16.11.2017.

3. In the said notification, the following entry shall be substituted at Sl. No. 1 namely:-

Sl. No. of the Gazette Notification dated 04.12.2017.	Name & Designation of the member	Appointment As (under relevant Para)
1.	Additional Secretary/Principal Secretary/Secretary, Labour and Employment Department, Gujarat State.	Chairman [Under Para 4(1)(a)]

4. This will come into force with immediate effect.

SUNIL BARTHWAL, Central Provident Fund Commissioner
[ADVT.-III/4/Exty./506/19]